महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/स्टोर/वि.टेंडर/2016/ 1472 दिनांक : 1-2-16

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	प्लास्टिक वूवन बैग्स क्रय	5.00	10,000/-	200/-
2.	कैंटीन संचालन	5.00	10,000/-	200/-
3.	विश्वविध्यालय में विभिन्न समारोहों हेतु भोजन/अल्पाहार व्यवस्था	3.00	6,000/	200/-
4.	विश्वविध्यालय में फ़ोटोस्टेट,स्पाईरल बाइंडिंग	3.00	6,000/-	200/-
5.	फ़ोटोस्टेट,स्पाईरल बाइंडिंग एवं इन्टरनेट (छात्र सुविधा केंद्र)	1.50	3,000/-	200/-
6.	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	3.00	6,000/-	200/-
7.	विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी : (अ) टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
	(ब) जेनरेटर व्यवस्था	1.50	3,000/-	200/-
	(स) माइक व्यवस्था	1.50	3,000/	200/-
8.	विश्वविध्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का विक्रय	20.00	40,000/-	400/-
9.	विश्वविद्यालय में फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	1.50	3,000/-	200/-

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित 18.02.16 को मध्यान्ह 2:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

वित्त नियंत्रक

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

कैंटीन संचालन हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

निविदा–पत्र

कार्य का नाम–	कैंटीन संचालन	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	18.02.16 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
निविदा कमांक–		निविदा खोलने की तिथि	18.02.16 मध्यान्ह 03:00 बजे
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रू. 5,00,000/- रु. 10,000/- रू. 200/-		

1. ....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम..
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.. ....(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया..
5. संदर्भ..
6. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद..........................एवं दिनांक..द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या..के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
7. हम..द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ...... में वर्णित सभी षर्तों से तथा संलग्न षीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त षर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित षर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिये दरें संलग्न सूची अनुसार होगी

क्र.सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण	दर (रूपये)	कीमत केन्द्रिय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूंगी कर यदि कोई इसमें से डिस्काउन्ट, छूट (रिबेट) को घटा शुद्ध मूल्य
संलग्न सूची के अनुसार			

9. फर्म द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित **कैंटीन** भवन का किराया **रू.** 3000/– प्रति माह **से कम अंकित किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । (किराया राशि निविदा शर्तों के अंतर्गत दी गयी सारणी में अंकित करें)**
10. उपर उद्धत की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
11. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या........................जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक ....रूपये....... ....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
12. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर चुकता पत्र संलग्न है।
13. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।(यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :..
:..
2. फर्म एकल/भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):..
3. भागीदारों के नाम :..
4. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :..
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते है :..
6. दरें नीचे लिखी तालिका में आईटमवाईज समिति द्वारा निर्धारित की गयी है । सामग्री इसी दर पर उपलब्ध करवानी होगी ।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम)
1.	चाय प्रति कप (चाय की पत्ती स्टेण्डर्ड कंपनी की होनी चाहिए)	150 एम. एल	10/–
2.	चाय (डिप डिप)	150 एम. एल.	12/–
3.	गर्म दूध	200 एम. एल.	12/–
4.	काफी प्रति कप (नेस्केफे/ब्र्यु)	150 एम. एल.	12/–
5.	समोसा/कचोरी/आलूकोप्ता/ब्रेड पकोड़ा/पैटीज प्रति नग	70 ग्राम(उच्च श्रेणी के खाद्य तैल से निर्मित)	10/–
6.	वेजसैंडविच/पनीरकोफ्ता/प्याजकचौरी/भेल–पुडी/	प्रति नग	15/–
7.	ताजे फलों का रस (पाईनेपल/मौसमी/बील)	200 एम.एल. (आईटम वाईज दरें दी जाएं)	30/–
8.	मौसम के अनुसार ताज़े फलों का रस यथा (पपीता/आम/गाजर)	200 एम.एल. (आईटम वाईज दरें दी जाएं)	20/–
9.	नमकीन :– भुजिया/मिक्सर भुजिया (मोटी)/ भुजिया (बीकाजी/ भीखाराम चॉदमल/ बिशनलाल बाबुलाल)	50, 100, 200, 500 ग्राम	एम.आर. पी.पर
10.	चिप्स, कुरकुरे (लेज, अंकल चिप्स, बीकाजी)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
11.	बिस्किट मीठे व नमकीन (पारले, बिटेनिया मेरीगोल्ड)	प्रति पैकेट (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
12.	छाछ (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर. पी.पर
13.	लस्सी (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर. पी.पर
14.	दही (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर. पी.पर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

15.	आईस्क्रीम (वाडिलाल, अमूल)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
16.	मिनरल वाटर बोटल (बिसलरी / एक्वाफिना)	01 लीटर	एम.आर. पी.पर
17.	चॉकलेट्स (अमूल / डेयरीमिल्क)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
18.	शीतल पेय पदार्थ (कोका कोला, मरिंडा, थम्सअप, लिम्का, स्प्राईट, ड्यु, स्लाईस, माजा, रीअल ज्यूस)	200 / 500 एम एल, 1 लीटर व 2 लीटर	एम.आर. पी.पर
19.	आर. ओ फिल्टर्ड पानी का केम्फर (लगभग 20 लीटर	प्रति लीटर	एम.आर. पी.पर

उपर्युक्त आईटमों के अतिरिक्त अन्य खाद्य / पेय पदार्थ (ब्राण्डेड) भी आवश्यकता व सुविधा अनुसार कैन्टीन में रख सकेगा, जिसकी दरें अलग से विश्वविद्यालय से अनुमोदित करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

Tender

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

कैंटीन संचालन हेतु वार्षिक दर संविदा की शर्तें

1. वार्षिक दर संविदा एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
2. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि रूपये 10,000/- अग्रिम बतौर टैण्डर के साथ लगानी होगीं। धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. ठेकेदार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए।
4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित खाद्य सामग्री/ बीड़ी, सिग्रेट/गुटखा/ नशीले पदार्थ बेचना निषिद्ध होगा अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
5. सफल निविदादाता अनुमोदित होने पर बकाया प्रतिभूति राशि 15000/– रूपए जमा कराते हुए 500/– रूपए के नॉन ज्युडिशिअल स्टाम्प पर सात दिवस के अंदर–अंदर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
6. कैंटीन का संचालन विश्वविद्यालय के कैंटीन भवन में करना होगा, जिसका किराया पत्र जारी होने के **7 दिवस** में प्रथम माह का किराया नगद विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाने के साथ शेष 11 माह का किराया फर्म की चैक बुक के माध्यम से 11 चैक अग्रिम जमा करवाने होगें । चैक बाउंस होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये कैटिनं संचालन बंद करने का अधिकार विश्वविद्यालय के होगा ।
7. कैंटीनकर्त्ता को प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध होगी एवं 50 यूनिट से अधिक उपभोग पर कैंटीन संचालक **को संपदा अधिकारी से उपभोग यूनिट का सत्यापन कराते हुए** प्रतिमाह **बिल का** भुगतान **विश्विद्यालय कोष में जमा कराते हुए सुचना भण्डार शाखा में देनी होगी।**
8. ठेकेदार को आधारभूत सुविधाऍं (बैठने की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, पंखे, पानी) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी। जिसके रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की ही होगी।
9. कैन्टीन के उपयोग हेतु रेफ्रीजिरेटर, ओवन एवं समस्त प्रकार की कॉकरी आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा करनी होगी।
10. ठेकेदार स्वयं को कैंटीन चलानी होगी। वह कैंटीन चलाने के लिए सबलैट अथवा किसी अन्य को हस्तानांतरित नहीं करेगा।
11. किसी प्रकार की प्रति–शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नही होगी।
12. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर ठेकेदार के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
14. कैन्टीन व उसके आस–पास की सफाई व्यवस्था ठेकेदार के जिम्मे होगी।
15. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थो को बनाने में उत्तम क्वालिटी की सामग्री ही काम में ली जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति समय–समय पर कैन्टीन संबंधी शर्तो के पालन एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकेगी। निविदा शर्तों/सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर एक सप्ताह के अंदर अंदर कमी पूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि **जब्त** करने की कार्यवाही की जा सकती है।
16. भवन सुरक्षा के सन्दर्भ में समस्त मानदण्डों की पालना ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
17. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
18. कैन्टीन में स्वस्थ कार्यकर्ता ही मान्य होंगे। कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार ही होगी।

Tender

19. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी शिकायतें आने पर कर्मचारियों को तुरंत बदलने की कार्यवाही करनी होगी अन्यथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
20. विश्वविद्यालय द्वारा लगाये गये सामान (भवन फिक्सचर) के रखरखाव/मरम्मत/ सफाई आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनुबंध समाप्त होने पर समस्त ऐसी सामग्री चालू हालत में ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को सुपुर्द करने पर ही प्रतिभूति राशि लौटायी जावेगी।
21. कैंटीन संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक होगा। **सांय पांच बजे के पश्च्यात कैंटीन खुले रहने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।** विशेष परिस्थितियों में समय का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा सकता है।
22. ठेकेदार द्वारा बाल श्रमिक अधिनियम की पालना की जानी अनिवार्य होगी।
23. कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय एवं विशेष समारोह स्थल पर आवश्यकता होने पर सेवाएँ दी जानी अनिवार्य होगी।
24. कैन्टीन में रखे गये सामान का विवरण, दर कैन्टीन के काउन्टर/बोर्ड पर लिखनी होगी।
25. निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्री की दरे विश्वविद्यालय प्रशासन से मान्य कराने के बाद ही कैन्टीन में रख सकेगे।
26. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
27. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।
28. <u>धरोहर राशिः–</u>
    - (i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 10,000/– रूपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।
    - (ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
    - (iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।
    - (iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

<u>29. निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–</u>
- (i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।
- (ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:—

1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत कियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा **तीन दिवस में** जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को कय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर केता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा **की कार्यावधि** पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

30. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी
31. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।
32. किसी प्रकार की विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।

वित्त नियंत्रक

कैंटिन भवन का किराया (विद्युत खर्च निविदा शर्त के अनुसार)	राशि रूपयें प्रति माह **शब्दों व अंकों में** __________

मै/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्तें स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

Tender